संख्या: 36/2018/610/छप्पन-2018-08/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2018

विषय: चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 990/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 24 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने शासनादेश संख्या-33/2018/529(2)/छप्पन-2018-93/16 दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' के मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि रूपए 20.00 करोड़ की धनराशि चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार के लिए भूमि क्रय हेतु अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-27/2018/554/छप्पन-2018-08/2013 दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु चिन्हित की गई भूमि के क्रय हेतु धनराशि रूपए 2,39,65,00,325/- (रूपए दो अरब उन्तालिस करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पच्चीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किश्त के रूप में रूपए 56,79,90,446/- (रूपए छप्पन करोड़ उन्यासी लाख नब्बे हजार चार सौ छियालिस मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

3- उपर्युक्त अवमुक्त की गई धनराशि के उपरान्त रूपए 1,82,85,09,879/- की धनराशि अवमुक्त की जानी अवशेष है। अत: निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासनादेश

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2018/529(2)/छप्पन-2018-93/16 दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि रूपए 20,00,00,000/- (रूपए बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष श्री राज्यपाल चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु चिन्हित की गई भूमि के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय किश्त के रूप में रूपए 20,00,00,000/- (रूपए बीस करोड़ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपए 20,00,00,000/- (रूपए बीस करोड़ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, लखनऊ के निर्वतन पर रखा जायेगा और जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

5- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, लखनऊ से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयवद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

6- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

7- शासनादेश संख्या-27/2018/554/छप्पन-2018-08/2013 दिनांक 21 मार्च, 2018 में विहित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 36/2018/610(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(8) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, लखनऊ।
(9) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13 ।
(11) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।